भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4229
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय

4229. श्री जय प्रकाश:
श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के हिसार और सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों सहित जिलावार विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के साथ समन्वय की कमी की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो हिसार और सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों में किन योजनाओं में पीआरआई की भागीदारी सीमित रही है और इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और नियोजन में इन संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई पहल कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियाँ और संसाधन प्रदान करके योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भविष्य में कोई ठोस नीति लागू करने का विचार है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय हरियाणा के हिसार और सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजी विका मिशन

(डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं /कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम पंचायतों की भागीदारी को उचित महत्व देता है और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है। मं त्रालय मध्यावधि समीक्षा, कार्यक्रम समीक्षा बैठकें, राष्ट्रीय स्तर की निगरानी, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक, सामान्य समीक्षा मिशन आदि सहित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी इन योजनाओं /कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नियमित दौरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार नियमित रूप से सभी जिलों के जिला प्रशासनों के साथ भौतिक और वर्चुअल दोनों तरह की समीक्षा बैठकें आयोजित करती है। इसके अलावा , विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के साथ समन्वय का आकलन और इसके सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री और जिला स्तर पर माननीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में दिशा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) से (घ): जहाँ तक सरकारी पहलों का संबंध है , पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार , राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एंड पीआर), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) जैसे अन्य संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य नियोजन, कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में शासन क्षमताओं और नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त , पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए स्वास्थ्य , शिक्षा, लैंगिक समानता , पर्यावरण संरक्षण , सामाजिक सुरक्षा और सुशासन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित विषयगत कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में सार्थक योगदान देने की उनकी क्षमता को बढ़ाना है।

*****